अपलोड करें 31/3/16

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

ई–मेल– caodlb@gmail.com

टेलीफोन / फैक्स नं – 0141–2223074

क्रमांक : प.6(ट)(309)लेखा / डीएलबी / 14एफ.सी / दिशा–निर्देश / 2015 / 20102 दिनांक :– 29.2.16

–:: परिपत्र ::–

विषयः– 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यनिषादन अनुदान के संबंध में दिशा–निर्देश।

14वें वित्त आयोग द्वारा कार्यानुसार (निष्पादन) अनुदान हेतु सिफारिश संख्या 9.75 की गयी है जिसके अनुसार नगरीय निकायो को निष्पादन अनुदान राशि का संवितरण हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.6 (ट) (309) लेखा / डीएलबी / 14एफ.सी / दिशा–निर्देश / 2015 / 14707–907 दिनांक 14.12.2015 को निरस्त करते हुये आयोग की अवार्ड अवधि वर्ष 2015–16 से 2019–20 हेतु समस्त नगरीय निकायो के मध्य अनुदान के संवितरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

क्र. सं.	कार्य का विवरण जिसकी पूर्ति निकाय द्वारा की जानी है	कार्य पूर्ण कर विभाग को सूचित करने की दिनाक	निर्धारित कार्यनिष्पादन अनुदान आवंटन का प्रतिशत
1	(i) वर्ष 2013–14 व 2014–15 के वार्षिक लेखे एक्रुअल बेस डबल एन्ट्री एकाउन्टीग सिस्टम से तैयार कर उन्हें अंकेक्षित कराना	31.03.2016	35
	(ii) वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखे एक्रुअल बेस्र डबल एन्ट्री एकाउन्टींग सिस्टम से तैयार कर उन्हें अंकेक्षित कराना	31.03.2017	
	(iii) वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखे एक्रुअल बेस डबल एन्ट्री एकाउन्टींग सिस्टम से तैयार कर उन्हें अंकेक्षित कराना	31.03.2018	
	(iv) वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखे एक्रुअल बेस डबल एन्ट्री एकाउन्टींग सिस्टम से तैयार कर उन्हें अंकेक्षित कराना	31.03.2019	
2	नगरपालिका को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्वों (चुंगी और प्रवेश कर से हुई आय को छोड़कर) में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है		35
3	सर्विस लेबल बेंच मार्क का निर्धारण करना एवं प्रकाशित करवाना	संबंधित वित्तीय वर्ष प्रारम्भ से पूर्व	30

उक्तानुसार कार्य निष्पादन अनुदान केवल उन नगरीय निकायो को स्वीकृत किया जावेगा जो निर्धारित मापदण्डो को पूर्ण करते है। नगरीय निकायो को निर्धारित प्रतिशत अनुसार संवितरण के उपरान्त अवशेष अनुदान राशि का संवितरण राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार केवल उन्ही निकायो के मध्य किया जावेगा, जिन निकायो द्वारा उक्त सभी मापदण्ड पूर्ण कर लिये गये है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(309)लेखा/डीएलबी/14एफ.सी/दिशा–निर्देश/2015/20103-353 दिनांक :- 29/2/16

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
06. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. निदेशक, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, ब्लॉक नं0 XI, 5 मंजिल लोदी रोड़, नई दिल्ली– 110003
08. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
09. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर
12. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
13. स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी